



मध्यप्रदेश सहकारी समाचार



मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 16 अगस्त, 2026, डिस्पैच दिनांक 16 अगस्त, 2026

| वर्ष 70 | अंक 06 | भोपाल | 16 अगस्त, 2026 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

5 हजार से अधिक किसानों के हित में बड़ा निर्णय, कवच योजना को मंजूरी

अपेक्स और जिला सहकारी बैंकों द्वारा 50 करोड़ की निधि की जाएगी निर्मित

राज्य सरकार 25 करोड़ की अंशपूजी करायेगी उपलब्ध

जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति

स्टेट डाटा सेन्टर के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1,099.58 करोड़ रुपये की स्वीकृति

प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक में लिये गए निर्णय

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान कल्याण को सर्वाधिक महत्व देते हुए सहकारिता विभाग की कवच योजना को मंजूरी दी, जिससे सहकारिता विभाग के लगभग 5 हजार किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

मंत्रि-परिषद ने सहकारिता विभाग की "कवच योजना" को अनुमोदित किया। यह योजना सहकारी समितियों के ऐसे लगभग 5 हजार किसानों के लिए है, जिनके ऋण खाते में गड़बड़ियां हुई हैं और जांच में देरी की वजह से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अब ऐसे किसानों को मुख्य धारा में लाकर योजना के तहत नया ऋण मिल सकेगा। निर्णय के अनुसार प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए अपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्तर से 50 करोड़ रुपये की सीमा तक की नीधि का निर्माण किया जायेगा। राज्य सरकार भी किसान हित में 25 करोड़ रुपये की अंशपूजी की सहायता एक बार उपलब्ध करायेगी। मंत्रि-परिषद



की बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन-कल्याण को गति देने के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये की योजनाओं और प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार के ये महत्वपूर्ण निर्णय मुख्य रूप से सहकारिता से जुड़े लगभग 5 हजार किसानों, प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण, खेल अधोसंरचना के विस्तार, डिजिटल गवर्नेंस के सशक्तिकरण और शैक्षणिक संवर्ग के हित संवर्धन पर केंद्रित है।

मंत्रि-परिषद की बैठक में आगामी वित्तीय वर्षों 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए जिला एवं सिविल अस्पतालों व औषधालयों के सुचारु संचालन के लिए 12 हजार 517.99 करोड़ रुपये, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच बढ़ाने के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएम) के तहत स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने व लैब नेटवर्क निर्माण के लिए 2,449 करोड़ रुपये तथा मलेरिया एवं वेक्टर जनित रोगों के प्रभावी नियंत्रण के लिए 1,705 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। बैठक में प्रदेश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएँ और स्टेडियम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खेल अधोसंरचना निर्माण के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रुपये की योजना को स्वीकृति दी गई। ई-गवर्नेंस को मजबूती देने के क्रम में स्टेट डाटा सेन्टर (SDC) के उन्नयन, परिचालन एवं संधारण के लिए 1 हजार 99 करोड़ 58 लाख रुपये मंजूर किए गए। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक, उच्च श्रेणी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के हित में निर्णय लेते हुए 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 1 जुलाई 2023 से चतुर्थ

क्रमोन्नत वेतनमान देने का अनुमोदन भी किया गया।

मंत्रि-परिषद ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग अंतर्गत स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना योजना संचालन संबंधी योजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक क्रियान्वयन के लिए 2,460 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपलब्ध अधोसंरचना का उन्नयन किया जायेगा। साथ ही खिलाड़ियों के लिए आवश्यक स्थाई प्रकार के खेल उपकरण स्थापित कराए जायेंगे। प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर स्टेडियम/खेल प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित हैं एवं 313 विकास खण्डों में से लगभग 100 स्थानों पर स्टेडियम निर्मित हैं।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के जिला और सिविल अस्पताल एवं औषधालयों को 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 12 हजार 517.99 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। योजना से जिला चिकित्सालय में रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ एवं अस्पताल सुचारु रूप से संचालित किया जा सकेगा। योजना के संचालन का लक्ष्य परिवार कल्याण कार्यक्रम एवं विभाग द्वारा संचालित गतिविधियों एवं विशेष रूप से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना भी है।

मंत्रि-परिषद ने मलेरिया सहित अन्य वेक्टरजनित रोगों के नियंत्रण से संबंधित योजना शीत ज्वर के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 1,704 करोड़ 81 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत मलेरिया सहित अन्य वेक्टरजनित रोगों को नियंत्रित किया

जाता है, जिसमें नए कीटनाशक और लार्टीसाइड शामिल हैं।

मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएम) के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 2,448 करोड़ 79 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। इस योजना के अंतर्गत जिला अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय स्तर पर क्रिटिकल केयर ब्लॉक और इंटीग्रेटेड सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब का निर्माण किया जाएगा तथा विकासखंड स्तर पर ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य यूनिट की स्थापना सुनिश्चित की जायेगी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएमएबीएम) के अंतर्गत कोविड महामारी जैसी स्वास्थ्य आपदाओं से निपटने एवं नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ किया जा रहा है। इसके साथ ही बीमारियों की शीघ्र पहचान के लिए जाँच प्रणाली को विकासखंड एवं जिला स्तर पर सुदृढ करते हुए नवीन नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण एवं शहरी स्तर पर स्वास्थ्य आपदाओं की शीघ्र पहचान कर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम किया जा सकेगा।

मंत्रि-परिषद ने जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ाने, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने तथा बेहतर स्वास्थ्य निगरानी के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन (प्राथमिक) सम्बन्धी योजना के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 11 हजार 812.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। योजना का मुख्य उद्देश्य उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आंतरिक एवं बाह्य

रोगियों का उपचार करना है। आंतरिक रोगियों के लिए निःशुल्क भोजन और दवाईयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीन संचालित चिकित्सा संस्थाओं में समस्त रोगों के निदान के लिए विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग एवं फार्मासिस्ट का अमला पदस्थ होता है।

मंत्रि-परिषद ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्टेट डाटा सेन्टर का उन्नयन, परिचालन एवं संधारण संबंधी योजना के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 1,099 करोड़ 58 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। प्रदेश में शासकीय विभागों के महत्वपूर्ण डेटा के सुरक्षित संग्रहण एवं विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवाओं के संचालन के लिए स्टेट डाटा सेंटर (SDC) का संचालन मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीएसईडीसी) द्वारा किया जा रहा है। राज्य की ई-गवर्नेंस अधोसंरचना के प्रमुख घटक के रूप में यह विभिन्न विभागों को होस्टिंग सेवाएँ, नागरिक सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता तथा डिजिटल रिकवरी के माध्यम से सेवा निरंतरता सुनिश्चित करता है।

म.प्र. स्टेट डाटा सेन्टर (एमपीएस.डी.सी.) विभिन्न विभागों की वेबसाइटों, पोर्टों, एम.आइ.एस. ईमेल सेवाओं तथा क्लाउड होस्टिंग के लिए एक साझा, सुरक्षित और लागत प्रभावी प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इससे विभागों की आईटी लागत में कमी आती है और नागरिकों को डिजिटल सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित होती है जिससे "डिजिटल इंडिया मिशन को राज्य स्तर पर मजबूती मिलती है। जनजातीय कार्य विभाग के शैक्षणिक संवर्ग के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान की स्वीकृति

बलराम कृषि महोत्सव किसानों को नई तकनीक और समृद्ध भविष्य से जोड़ने का अभियान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव हरदा जिला कृषि क्षेत्र में नंबर वन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बलराम कृषि महोत्सव केवल एक आयोजन न होकर किसानों को नई तकनीक, वैज्ञानिक खेती और समृद्ध भविष्य से जोड़ने का व्यापक अभियान है। यह किसानों का अपना कार्यक्रम है, किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाकर अपनी खेती को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मध्यप्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने, खेती-किसानी को लाभदायी बनाने और कृषि को आधुनिक स्वरूप देने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शनिवार को कृषि उपज मण्डी प्रांगण हरदा में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव कार्यक्रम को जबलपुर से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भुआणा क्षेत्र की धरती शुरू से ही उपजाऊ रही है। हरदा कृषि क्षेत्र में नंबर वन है। यहां नर्मदा जी का जल कृषि को और अधिक समृद्ध बनाता है। जिला मूंग, सोयाबीन, गेहूँ के उत्पादन के साथ हरी मिर्च के उत्पादन में भी अग्रणी बन रहा है। जिले के कोने-कोने तक सिंचाई का जल पहुँचाने के लिये कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा किसानों के हित में 16 विभागों की समन्वित कार्य योजना तैयार कर नियमित फसलों के अलावा दूध, मछली, पशु पालन, फल, सब्जी, मसाले, फूल एवं अन्य कृषि क्षेत्र में बेहतर उत्पादन के लिये कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के अलावा कृषि क्षेत्र में नई-नई तकनीकी भी लाई जा रही है। किसानों को सहकारी समितियों में लेने वाले ऋणों पर ब्याज अब वर्ष में एक बार देना पड़ेगा। सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहित किये जाने पर अच्छे आर्थिक मुआवजे की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि परम्परागत खेती अब गुजरे जमाने की बात हो गई है। अब आधुनिक और उन्नत खेती का दौर है। किसान बंधु अपने खेत की मिट्टी की जांच करावें। मिट्टी की उत्पादकता के अनुसार ही फसल लें। बहुत अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करने से बचें, जितनी जल्दी हो सके, प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ें। फसल विविधीकरण अपनाएं। एक ही किस्म की फसल के स्थान पर एक ही समय में खेत में एकाधिक फसल लें। इससे किसानों के खेतों में नई फसल किस्मों की हरियाली आयेगी, साथ ही आमदनी भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी त्यौहार हँसी खुशी से मनाये जाएं। साथ ही कावड़ यात्रियों की सुविधा के लिये प्रशासन द्वारा उचित कदम उठाए जाएं।



किसानों के प्रति सरकार के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। किसान अपनी मेहनत और पसीने से धरती से अन्न उगाते हैं और भूखों को अनाज उपलब्ध कराते हैं। किसानों के प्रति हमारी सरकार के मन में अगाध श्रद्धा और सम्मान है। किसान भाइयों को आज एक साथ 4000 रुपए सम्मान निधि के रूप में उनके बैंक खातों में अंतरित किये गए हैं।

कृषक कल्याण वर्ष में किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की क्षमताओं को पहचानती है। भारत वह देश है, जो अपनी परम्पराओं में वसुधैवकुटुम्बक का भाव रखते हुए संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानता है। हमारी संस्कृति 'जियो और जीने दो' पर विश्वास करती है। भगवान बलराम कृषि क्षेत्र के पहले देवता हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए हम वर्ष 2026 को 'कृषक कल्याण वर्ष' के रूप में मना रहे हैं। इसमें प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बलराम कृषि महोत्सव मनाये जा रहे हैं।

दुग्ध उत्पादन को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह किसानों के प्रति हमारी संकल्प शक्ति का ही परिणाम है कि आज प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर 65 लाख हैक्टेयर हो गया है, जो कि वर्ष 2002-03 से पहले मात्र साढ़े 7 लाख हैक्टेयर था। पिछले ढाई साल में सिंचाई का रकबा 10 लाख हैक्टेयर से अधिक बढ़

चुका है। राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए किसानों को बिजली, पानी, बेहतर सड़कें, प्राकृतिक खेती और आधुनिक खेती से जोड़ा है। किसान भाई अब ड्रोन से खेतों में खाद-बीज का छिड़काव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इसी वर्षाकाल के बाद किसानों को रात के साथ दिन में भी सिंचाई के लिए बिजली दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए राज्य सरकार दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। दुग्ध उत्पादन को वर्तमान 9 प्रतिशत से बढ़ाकर हमने 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से जिले के कृषकों को महत्वपूर्ण कृषि उपयोगी जानकारी मिल रही है। साथ ही वे कृषि की नई तकनीकों से भी अवगत हो रहे हैं।

किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह चावड़ा ने कहा कि बलराम कृषि महोत्सव से किसानों को कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियों, उपज बढ़ाने के तरीकों की जानकारी मिल रही है। सरकार चाहती है कि किसान समर्थ, खुशहाल और सम्पन्न बने, जिसके लिये निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं एवं किसानों के हित में अन्य योजनाएं लागू की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 60 प्रतिशत मूंग खरीदी की घोषणा से किसानों को बड़ी सहूलियत मिली है। किसानों के हित के लिये सरकार संकल्पबद्ध है। इस अवसर पर कृषि वैज्ञानिक डॉ. डॉ. मुकेश कुमार बंकोलिया और डॉ. ओ.पी. भारती ने किसानों को समसामयिक सलाह दी। साथ ही उर्वरकों के संतुलित उपयोग करने के लाभ भी बताये। उन्होंने फसलों के कीट व्याधि से बचाव के लिये भी आवश्यक जानकारी दी।

कार्यक्रम में बलराम कृषि महोत्सव में श्री कपीलयात्रे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह, उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गेहलोत, श्री राजेश वर्मा, श्री जयपाल सिंह चावड़ा, श्री कप्तान सिंह यादव, श्री महेश शर्मा, श्री राजेश पंवार, श्री नितेशबादर, श्री दिलीप गौर, कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन, पुलिस अधीक्षक श्री शशांक, सीईओ जिला पंचायत श्रीमती अंजली जोसेफ जोनाथन, अपर कलेक्टर श्री पुरुषोत्तम कुमार उपस्थित थे।

अतिथियों ने किया प्रदर्शनी का अवलोकन

बलराम कृषि महोत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिये प्रदर्शनी लगाई गई। अतिथियों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर अधिकारियों से विभागीय योजनाओं की जानकारी ली। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों ने किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकों व अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी।

कृषक हुए सम्मानित

कृषि विभाग अंतर्गत समन्वित कृषि प्रणाली के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिये ग्राम कानपुरा के कृषक श्री रामनारायण पिता रामरतन, जैविक कीटनाशक बनाकर उत्कृष्ट जैविक खेती के लिये ग्राम बारंगा के कृषक श्री परमानंद पिता जयनारायण, बायो रिसोर्स सेंटर एवं जैविक खेती के लिये ग्राम आलमपुर के किसान श्री शिवनारायणचाचरे, जैविक खेती के लिये ग्राम बघवाड़ के किसान श्री राजकुमार बाफना तथा नवीन किस्मों को मल्टीप्लाई कर कृषकों को उपलब्ध कराने के लिये ग्राम कछबेड़ी के किसान

श्री मेहुल पिता रामजीवन को सम्मानित किया गया। कृषि विज्ञान केन्द्र अंतर्गत मोटा अनाज की खेती के लिये जूनापानी के कृषक श्रीमती रमा बाई पति जगदीश तथा प्राकृतिक खेती मास्टर ट्रेनर के लिये ग्राम नयापुरा के श्री जयनारायण राय को सम्मानित किया गया। पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत ग्राम बैरागढ़ के कृषक डॉ. यास्मिन अली, ग्राम भादूगांव के श्री नवनीत जैन तथा ग्राम करताना के श्री राजेन्द्र कर्ने को सम्मानित किया गया। कृषि अभियांत्रिकी अंतर्गत कस्टम हायरिंग के लिये ग्राम अबगांवकला के किसान श्री संदीप कुमार व ग्राम कुसीया के श्री राजकुमार विश्रोई को सम्मानित किया गया। इसी प्रकार उद्यानिकी विभाग अंतर्गत सब्जी उत्पादन के लिये सिरकम्बा के किसान श्री मधु धाकड़ को सम्मानित किया गया।

मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम में गौरव विद्या निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा कु. थलवंदनामल्हारे, लक्ष्मीबाई विद्या मंदिर टिमरनी के छात्र प्रवीण मालाकार, सनराइज स्कूल टिमरनी की छात्रा हर्षिता चौरसिया, तक्षशिला एकेडमी हरदा की छात्रा तन्वी शर्मा, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिमरनी की छात्रा शीतल राजपूत, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिमरनी के छात्र जय राठौड़, माँ शारदा विद्या पीठ हरदा की छात्रा आयुषी शर्मा, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा की छात्रा ईशा केवट, माँ शारदा विद्या पीठ हरदा की छात्रा ज्योति धाकड़ व हरदा स्कूल ऑफ एजुकेशन हरदा की छात्रा भूमि नागले को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

1,50,00,000.00	11. जना स्मॉल फायनेंस बैंक	(टीडीआर)	3,08,51,802.00
1,01,00,000.00	12. उज्जीवन स्मॉल फायनेंस बैंक	(टीडीआर)	2,09,00,000.00
14,01,000.00	13. हुडकों टैक्स फ्री बाण्ड		-
15,10,000.00	14. इंडियन रेल्वे फायनेंस कार्पोरेशन लि.		-
36,27,000.00	15. नेशनल हाइवे अथॉरिटी आफ इंडिया		-
17,03,000.00	16. इंडियन रिनोवल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लि.		-
1,00,00,000.00	17. 8.37 आरडूसी 2028 बॉण्ड		1,00,00,000.00
99,28,000.00	18. 8.30 आरडूसी 2029 बॉण्ड		99,28,000.00
42,71,29,770.00			39,25,97,908.00
-	5. राज्य भागीदारी / मूल सहायक पूंजी में विनियोग		-

अ	ब	स	द
60,98,62,539.98	6. ऋण एवं अग्रिम		64,54,03,422.42
2,34,40,262.42	अ. अल्पावधि ऋण		
2,65,747.30	1. सावधि जमा की प्रतिसूतियों पर	3,75,47,788.42	
3,00,000.00	2. अन्य प्रतिसूतियों पर (व्यतिरिक्त ऋण)	3,85,402.30	
6,93,097.00	3. अन्य उद्देश्यों हेतु अल्पावधि ऋण	3,00,715.00	
-	4. स्वर्णभूषण पर	9,66,616.00	
15,55,53,855.34	5. दैनिक जमा योजना पर अल्पावधि ऋण	2,71,405.00	
1,60,66,818.83	6. अधिविकर्स (व्यतिरिक्त)	16,64,86,621.45	
3,19,917.05	7. नकद साख सीमा	1,56,04,290.13	
18,905.50	8. नकद साख सहकारी समितियां	3,19,917.05	
19,66,58,603.44	9. बिल्स डिस्काउंटिंग	18,905.50	
6,16,89,105.63	ब. मध्यम अवधि ऋण	22,19,01,660.85	46,10,12,833.57
35,15,14,830.91	स. दीर्घ अवधि ऋण	4,75,89,106.51	
41,32,03,936.54		37,59,12,655.06	
1,62,41,623.03	7. प्राप्ति योग्य ब्याज	42,35,01,761.57	
37,67,41,564.39	1. विनियोजन पर	1,46,59,257.20	
39,29,83,187.42	2. ऋण एवं अग्रिम पर (रनपीए)	44,63,53,576.37	
-	8. वसूली योग्य बिल	46,10,12,833.57	
-	9. शाखा समायोजन		-
77,54,280.50	10. सम्पत्तियों का पूर्वमूल्यांकन (भवन)		69,78,852.50
6,22,042.20	11. भूमि एवं भवन (6568508.06-8006887.86)	5,59,838.20	25,80,787.35
16,97,440.14	12. फर्नीचर एवं फिक्सचर (6595445.35-5043630.43)	15,51,814.92	
8,51,323.99	13. कम्यूटर/एनकोडर (11047598.89-10578464.66)	4,69,134.23	
		25,80,787.35	
A	-4	C	D
37,18,072.01	14. अन्य सम्पत्तियां		37,56,654.66
3,100.00	1. भवन प्रतिसूति जमा (भेल)	3,100.00	
82,479.00	2. दूरभाष एवं विद्युत प्रतिसूति	82,479.00	
48.00	3. पुस्तकालय ()	-	
12,41,421.40	4. विविध अग्रिम खाता	14,67,010.40	
12,500.00	5. भेल में प्रतिसूति जमा (विद्युत)	12,500.00	
10,000.00	6. जल हेतु प्रतिसूति जमा	10,000.00	
4,62,826.81	7. लेखन सामग्री स्टॉक	2,98,830.09	
47,260.80	8. निवेशों पर टीडीएस कटौत	59,563.57	
16,92,064.00	9. अग्रिम आयकर	16,92,064.00	
4,000.00	10. भू-स्वामी को प्रतिसूति जमा	4,000.00	
1,56,994.00	11. पूर्वदत्त व्यय	1,21,729.60	
5,378.00	12. चांदी के सिक्के	5,378.00	
37,18,072.01		37,56,654.66	
1,50,69,09,538.83	योग		1,58,40,89,553.49

37,67,41,564.39	8. कालातीत ब्याज प्राक्धान	44,63,53,576.37
19,44,837.00	9. देय ब्याज प्राक्धान	20,70,398.00
4,97,83,833.35	10. अन्य देयताएँ/देनदारियाँ	5,61,94,402.12
23,760.00	1. भुगतान योग्य बिल्स	-
10,25,200.00	2. लामांश देय	20,27,164.00
4,87,34,873.35	3. विविध (अनुसूचि-4)	5,41,67,238.12
4,97,83,833.35		5,61,94,402.12
	11. लाम-हानि खाता	20,51,717.36
40,33,556.03	वर्ष का लाम, लाम-हानि खातों से लाया गया	20,51,717.36
40,33,556.03		
1,50,69,09,538.83	कुल योग	1,58,40,89,553.49
51,93,235.03	14. आकस्मिक देयताएँ	
	1. भारतीय रिजर्व बैंक में डीईए फण्ड खातों में शेष राशि	57,39,371.00

वास्तव सद्गुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

प्रभारी मु.का.अधिकारी

सद्गुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,
ई-13, प्रथम तल, रविशंकर नगर, अरेंसा कालोनी, भोपाल
लाम-हानि खाता 2025-2026

व्यय	राशि 2024-2025	विवरण-व्यय	राशि	राशि 2025-2026
5,78,81,707.26	1. अमानतों/आहरण पर ब्याज	(54194760.93.21+14458.28+16386.00)	5,42,25,605.21	5,42,25,605.21
2,33,64,501.00	2. कर्मचारी वेतन एवं भत्तों तथा भाविष्य निधि			2,50,73,453.00
26,96,637.00	अ. वेतन एवं भत्तों		2,24,69,296.00	
	ब. कर्मचारी भाविष्य निधि अंशदान		26,04,157.00	
2,60,61,138.00			2,50,73,453.00	
3,66,900.00	3. संचालकों की बैठक शुल्क एवं भत्तों (65100.00+235000.00)			3,00,100.00
3,52,050.00	4. किराया, कर, बीमा एवं विद्युत व्यय आदि			29,28,211.16
1,20,770.00	1. किराया		3,34,723.00	
2,500.00	2. पानी व्यय		78,650.00	
1,47,315.00	3. प्रोफेशनल टैक्स		2,500.00	
12,33,829.00	4. सम्पत्ति कर		1,67,465.00	
5,39,000.00	5. बीमा प्रीमियम		11,94,001.00	
1,21,458.00	6. विद्युत व्यय		5,07,487.00	
4,19,883.48	7. गत वर्षों के आयकर का भुगतान		-	
76,397.52	8. आईजीएसटी		4,20,283.42	
74,270.96	9. सीजीएसटी		1,11,415.37	
	10. एसजीएसटी		1,11,686.37	
30,87,473.96			29,28,211.16	
3,43,136.00	05. कानूनी व्यय		3,85,192.00	3,85,192.00

06. डाक-तार एवं दूरभाष	26,968.00	38,622.00	2,33,516.17
	2,31,604.27	1,94,894.17	
	2,58,572.27	2,33,516.17	
07. अंकेक्षण शुल्क	2,64,000.00	2,13,170.00	2,47,068.00
	40,000.00	33,898.00	
	3,04,000.00	2,47,068.00	
08. सम्पत्तियों पर हास एवं मरम्मत	1,86,724.00	1,73,171.00	12,92,465.92
	69,116.00	62,204.00	
	9,12,372.00	5,98,939.76	
	80.00	48.00	
	23,316.94	40,667.00	
	-	11,553.76	
	13,800.00	13,800.00	
	3,96,560.00	3,45,996.44	
	18,212.00	16,561.96	
	57,656.25	-	
	16,000.00	16,000.00	
	66,676.00	13,524.00	
	17,60,513.19	12,92,465.92	
	6,55,156.99	7,00,539.28	
	1,90,548.00	1,53,400.00	
	8,45,704.99	8,53,939.28	

10. गैर-बैंककारी सम्पत्तियों के व्यवहार या विक्रय से हुई हानि	-	-	36,58,363.73
	4,47,870.00	4,65,258.00	
	2,72,196.60	1,27,865.89	
11. अन्य व्यय	1,42,024.00	1,54,209.00	
	-	-	
	3,87,924.00	-	
	-	8,448.00	
	2,98,593.00	2,74,670.00	
	1,93,800.00	1,79,332.00	
	29,669.00	29,669.00	
	1,21,915.80	37,124.00	
	3,85,702.00	3,05,127.00	
	28,900.00	28,900.00	
	3,22,815.00	2,69,516.16	
	78,991.80	39,289.98	
	1,13,252.00	99,591.00	
	38,329.00	31,367.00	
	3,552.00	3,620.00	
	9,15,949.00	9,13,132.00	
	4,857.67	4,724.22	
	52,494.00	54,356.00	
	18,500.00	15,000.00	
	1,36,518.00	-	
	19,470.00	51,500.00	

सदगुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल		
रक्षित एवं अन्य निधियां		(राशि रूपयें में)
अनुसूचि-1	31.03.2025	विवरण
	1,06,03,423.13	1. विकास निधि
	1,25,000.00	2. सामान्य हित निधि
	23,80,218.00	3. कर्मचारी कल्याण निधि
	8,52,014.00	4. दान निधि
	1,95,637.75	5. शैक्षणिक पुरस्कार निधि
	29,58,956.95	6. मानक सम्पत्तियों के प्रति आक. प्रावधान
	8,15,584.72	7. कर्मचारी खेल एवं सांस्कृतिक निधि
	13,73,278.00	8. रजत / स्वर्ण जयंती निधि
	8,58,300.00	9. वाहन क्रय निधि
	40,40,317.00	10. स्पेशल रिजर्व
	14,16,869.52	11. प्रशिक्षण निधि
	4,79,850.00	12. निवेश उतार-चढ़ाव निधि
	2,33,300.00	13. संगोष्ठी / सम्मेलन फण्ड
	34,837.00	14. सामान्य प्रावधान
	37,60,731.50	15. सामान्य आरक्षित निधि
	3,01,28,317.57	योग
		3,03,48,529.57

सावधि जमा व्यक्तिगत		
अनुसूचि-2	31.03.2025	विवरण
		1. सावधि जमा खाता
	7,31,00,714.00	अ. व्यक्तिगत
	-	ब. संस्थागत
		2. द्विगुणित जमा
	43,03,54,335.00	अ. व्यक्तिगत
	4,68,361.00	ब. संस्थागत
	9,60,31,549.00	3. सदगुरु मनी मल्टीप्लायिंग योजना (नान-कोलेबल)
	41,07,900.00	4. आवर्ति जमा योजना
	1,04,50,450.00	5. दैनिक जमा योजना
	49,39,191.00	6. समृद्ध सुकन्या जमा योजना
	38,623.41	7. सन्नी जमा खाता
	61,94,91,123.41	योग
		61,39,91,466.41

वास्ते सदगुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

सदगुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित,
ई-13, प्रथम तल, रविशंकर नगर, अरera कालोनी, भोपाल
लाभ-हानि खाता 2025-2026

प्रदेश का एक गाँव ऐसा जो बना खेती का ‘मिनी हॉलैंड’

पॉलीहाउस में खिल रहे विदेशी फूल और बदल रही किसानों की तकदीर

भोपाल। कभी पारंपरिक खेती और मौसम की अनिश्चितता से जूझने वाले धार जिले के बदनावर विकासखंड के ग्राम रूपाखेड़ा अब मिनी हॉलैंड के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। ग्राम रूपाखेड़ा में किसान पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस में गुलाब, जरबेरा, लिलियम, जिप्सोफिला, ब्लू डेजी, व्हाइट डेजी जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फूलों एवं सब्जियों का उत्पादन कर देशभर में आज आधुनिक उद्यानिकी और संरक्षित खेती की सफलता की मिसाल बनकर उभरा है।

लगभग 1930 की आबादी और 391 परिवारों वाले रूपाखेड़ा में एक दशक पहले अधिकांश किसान गेहूं, चना, मक्का और सोयाबीन जैसी पारंपरिक फसलों पर निर्भर थे। मौसम की मार, सीमित आय और बढ़ती खेती लागत के कारण किसानों के सामने आर्थिक चुनौतियां थीं। ऐसे समय में उद्यानिकी विभाग ने किसानों को संरक्षित खेती (Protected Cultivation) की तकनीक से परिचित कराया। पॉलीहाउस और शेडनेट हाउस के माध्यम से खेती, तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं की जानकारी ने किसानों को



परंपरागत खेती से आगे बढ़ने का अवसर दिया।

रूपाखेड़ा में करीब 1,44,407 वर्गमीटर क्षेत्र में 44 पॉलीहाउस संचालित हैं। यहां उच्च गुणवत्ता वाले फूलों की व्यावसायिक खेती की जा रही है। इसके साथ ही लगभग 42,000

वर्गमीटर क्षेत्र में 13 शेडनेट हाउस निर्मित हैं, जहां उन्नत किस्मों की सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। नियंत्रित वातावरण में फसलों की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ किसानों को बाजार में अच्छा मूल्य भी मिल रहा है।

रूपाखेड़ा की इस सफलता में

भारत सरकार की मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (MIDH) योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान है। योजना के तहत पॉलीहाउस निर्माण पर प्रति इकाई 19 लाख रुपये तक और शेडनेट हाउस निर्माण पर 14.20 लाख रुपये तक अनुदान का प्रावधान किसानों

के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने में मददगार बना है।

संरक्षित खेती ने केवल उत्पादन ही नहीं बढ़ाया, बल्कि पानी की बचत, उर्वरकों के संतुलित उपयोग, कीट एवं रोग नियंत्रण और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को भी बढ़ावा दिया है। आधुनिक पैकिंग और बेहतर विपणन व्यवस्था से किसानों को अपने उत्पाद का अधिक लाभकारी मूल्य मिल रहा है।

रूपाखेड़ा आज इस बात का जीवंत उदाहरण है कि किसान यदि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और सरकारी योजनाओं का समुचित उपयोग करें, तो खेती केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि और रोजगार का माध्यम भी बन सकती है। किसानों की मेहनत और उद्यानिकी विभाग के सतत प्रयासों से बदनावर का यह छोटा-सा गांव अब प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा बन गया है और अपनी आधुनिक फूलों की खेती के कारण ‘मध्यप्रदेश का मिनी हॉलैंड’ कहलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

5.69.86	4. गैर बैंककारी सम्पत्तियों से आय तथा ऐसी सम्पत्तियों के विक्रय या उनमें किये गये व्यवहार में हुआ लाभ	29,81,928.53	-
	5. अन्य प्राप्तियां		
8,21,744.00	1. लाकर किराया	9,11,100.00	
762.00	2. अंश हस्तांतरण शुल्क	626.00	
7,00,585.00	3. प्रोसेसिंग फीस	7,06,795.00	
215.00	4. नाममात्र सदस्यता शुल्क	190.00	
9,34,889.73	5. अन्य आय (1666223.91-725399.28)	9,40,824.63	
86,800.00	6. ऋण आसूचना ब्यूरो (सिविल) फीस	47,400.00	
14,050.00	7. सरसाई फीस	12,900.00	
-	8. निधियों से हस्तांतरण (आयकर अदा किया गया है)	-	
1,69,490.00	अ. कर्मचारी प्रशिक्षण निधि	2,01,796.00	
-	ब. शैक्षणिक पुरस्कार निधि	-	
-	9. आयकर रिफंड	-	
-	10. एटीएम कमीशन (एसबीआई)	-	
24,637.00	11. दैनिक जमा योजना खातों पर प्राप्त डंड	53,489.00	
85,546.00	12. बीमा से प्राप्त आय	1,06,807.90	
28,38,718.73	6. हानि (यदि कोई हो तो)	29,81,928.53	
-		-	-
10,11,90,123.87	कुल योग		9,74,49,752.83

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा राजगढ़ में बी-पैक्स प्रबंधकों की एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित



भोपाल। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की SOFT-COB योजना के अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (बी-पैक्स) के प्रबंधकों एवं कर्मियों हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजगढ़ के सहयोग से जिला पंचायत भवन, राजगढ़ के सभागार में किया गया। कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक रघुवंशी, लेखा प्रबंधक श्री पवन पोरवाल

एवं कार्यक्रम संयोजक श्री दिलीप कुमार चौहान सहित बैंक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन कार्यशाला समन्वयक श्रीमती मीनाक्षी बान द्वारा किया गया। उन्होंने प्रारंभिक सत्र में सहकारिता क्षेत्र में हो रहे बदलावों तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व संकाय सदस्य एवं विषय विशेषज्ञ श्री पी.के.एस. परिहार ने अल्पकालीन सहकारी संरचना में हो रहे बदलाव, उभरते हुए नवीन व्यावसायिक

क्षेत्रों तथा बी-पैक्स समितियों की व्यवहारिकता पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। श्री पी. एस. बरोठिया, सहायक आयुक्त सहकारिता ने राजगढ़ जिला सहकारी बैंक की गतिविधियों एवं बैंक के समक्ष उपस्थित चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि वर्तमान में बी-पैक्स के लिए ERP व्यवस्था एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसे प्रतिदिन मॉनिटर करते हुए गति प्रदान की जा रही है। मुख्य अतिथि श्री दीपक रघुवंशी ने बैंक द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी



कार्यशालाओं के माध्यम से प्रतिभागियों की कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ-साथ लेखांकन की मूलभूत अवधारणाओं की समझ भी विकसित होगी। कार्यशाला के दौरान निर्धारित समय-सारणी के अनुसार ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं सत्रांत परीक्षा का आयोजन सुश्री नेहा यादव, राज्य समन्वयक द्वारा कराया गया तथा प्रतिभागियों से फीडबैक भी लिया गया। व्याख्यान के दौरान प्रतिभागियों से निरंतर संवाद कर विषय की समझ का आकलन

किया गया, जिससे प्रशिक्षण सत्रों को अधिक उपयोगी एवं सहभागी बनाया गया। कार्यशाला का उद्देश्य बी-पैक्स प्रबंधकों एवं कर्मियों को सहकारिता में हो रहे परिवर्तनों, नवीन व्यावसायिक अवसरों, ERP, बैंकिंग एवं लेखांकन से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान कर उनकी कार्यक्षमता एवं संस्थागत दक्षता में वृद्धि करना रहा।

अशोकनगर में नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजनांतर्गत बी-पैक्स प्रबंधकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण



भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा नाबार्ड प्रायोजित सॉफ्टकॉब योजनांतर्गत अशोकनगर जिले की बी-पैक्स समितियों के प्रबंधकों एवं सहायक प्रबंधकों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ कृषि उपज मंडी के सभागार में किया गया। कार्यशाला का उद्घाटन जिले की उप आयुक्त श्रीमती दिव्या नामदेव एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सीईओ श्री आर. एस. भदौरिया द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने बी-पैक्स समितियों की कार्यकुशलता, सुशासन

एवं किसानों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में प्रशिक्षण केंद्र के प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित ने प्रशिक्षण का उद्देश्य एवं सत्रों का विस्तृत परिचय देते हुए प्रतिभागियों का स्वागत किया। इसके पश्चात इफको के क्षेत्रीय अधिकारी श्री मोहित जैन ने इफको की विभिन्न योजनाओं, उर्वरक एवं अन्य उत्पादों के प्रभावी उपयोग तथा किसानों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। कार्यशाला

के सफल संचालन एवं व्यवस्थाओं में केंद्र के प्रशिक्षक श्री बाबूलाल कुशवाहा का विशेष सहयोग रहा। दो दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यशाला में अशोकनगर जिले की विभिन्न बी-पैक्स समितियों के 46 प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक सहभागिता कर रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सहकारी प्रबंधन, बी-पैक्स के सुदृढ़ीकरण, वित्तीय प्रबंधन, शासन व्यवस्था तथा आधुनिक कार्यप्रणालियों से संबंधित विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा सीहोर में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित



भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा सीहोर जिले में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य सहकारी समितियों के प्रबंधकों एवं कर्मचारियों की कार्यकुशलता, प्रबंधन क्षमता तथा सहकारी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना रहा। कार्यशाला के उद्घाटन एवं विभिन्न सत्रों में श्री पी.के.एस. परिहार, श्री श्रीकुमार जोशी, श्री सुभाष चंद तिवारी एवं डॉक्टर योगेश नामदेव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों ने सहकारिता के सशक्तिकरण, संस्थागत विकास, पारदर्शी प्रबंधन तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने में प्रशिक्षण की

महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को सहकारी प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, संस्थागत सुशासन, सदस्य सेवा, व्यवसाय विकास तथा नवीन कार्यप्रणालियों से संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण को उपयोगी बताते हुए इसे अपने दैनिक कार्यों में लागू करने का संकल्प व्यक्त किया। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल द्वारा आयोजित यह कार्यशाला सहकारी संस्थाओं की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उन्हें अधिक प्रभावी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुई।